राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1723/2024
नरेन्द्र सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर।
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड), पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर।
4. पुलिस महानिरीक्षक, अजमेर रेंज, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 19.06.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कुमार शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह तथ्य अंकित किये गये हैं कि अपीलार्थी वर्तमान में उप निरीक्षक के पद पर कार्यालय डी.आई.जी. (एसीबी), अजमेर में कार्यरत है। अपीलार्थी ने इस अपील में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.12.2023 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है। आदेश दिनांक 05.12.2023 के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक के पद पर चयन की अनुशंषा की थी, जिसमें अपीलार्थी का नाम अंकित नहीं किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक के पद पर योग्यता परीक्षा वर्ष 2019–20 के संबंध में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग से सूचना के अधिकार के तहत मांगी सूचना से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के रिकॉर्ड के अनुसार उसे कुल 75 में से 59 अंक प्राप्त हुये थे। जबकि इसके विपरीत प्रत्यर्थी विभाग के अनुसार अपीलार्थी के इण्डोर एवं आउटडोर में कुल 106.5 अंक थे तथा रिकॉर्ड एवं साक्षात्कार में कुल 43 अंक प्राप्त होकर कुल 149.5

अंक कुल प्राप्त होकर अपीलार्थी को अनुत्तीर्ण किया गया। अपीलार्थी को इण्डोर एवं आउटडोर में कुल 106.5 तथा रिकॉर्ड एवं साक्षात्कार में 59 अंक प्राप्त हुये थे, इस प्रकार अपीलार्थी कुल 165.5 प्राप्त करता है तो अपीलार्थी का एग्रीगेट बनना चाहिए था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति को अंतिम रूप से पुलिस निरीक्षक के पद पर चयनित किया गया है, जबकि अपीलार्थी को अनुत्तीर्ण किया गया है। अपीलार्थी को केवल 112 अंक कम होना बताकर अनुत्तीर्ण किया गया है। निश्चित रूप से रिकॉर्ड के किसी पार्ट यथा एपीए/पुरस्कार् के अंक प्रार्थी के नहीं जोड़े गए हैं। इस कारण से साक्षात्कार में पहुंचने के बाद भी अपीलार्थी का चयन नहीं हुआ। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एसीबी सिविल रिट याचिका संख्या 8033/2020 में पारित आदेश दिनांक 13.04.2023 का हवाला दिया है, जिसमें याची को समस्त अवॉर्डों के अनुसार अंक दिये जाने और उसके अनुसार पदोन्नति दिये जाने के आदेश दिये हैं।

2. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

3. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 माह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 माह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित

करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

4. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)